न्यायालय अपील अधिकारण (जिला मजिस्ट्रेट) जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– हिमांशु गुप्ता, आई.ए.एस.

भरण पोषण अपील संख्या : 02 / 2022

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थीगण**
1– श्रीमती बाया उर्फ सुलताना बानों पत्नी कुतुबुदीन जाति शाह मुसलमान निवासी गणशहीदा कॉलानी, कबीर नगर, सूरसागर जोधपुर।		1– इकबाल पुत्र अहमद शाह 2– श्रीमती जुबेदा पत्नी इकबाल 3– कुतुबुदीन पुत्र इकबाल निवासीगण गणशहीदा कॉलानी, सूरसागर जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 16, माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 विरूद्ध आदेश दिनांक 05.01.2022 जो उपखण्ड अधिकरण (उपखण्ड अधिकारी,) जोधपुर उत्तर द्वारा प्रकरण सं0 41 / 2021 इकबाल बनाम कुतुबुदीन वगैरा में पारित किया गया।

उपस्थितिः–
1– अपीलार्थीयाी स्वयं
2– प्रत्यर्थीपक्ष 1व 2 स्वयं।

आदेश दिनांक 16.01.2023

आदेश

अपील अपीलार्थी के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण / प्रत्यर्थीगण इकबाल व श्रीमती जुबैदा ने उपखण्ड अधिकरण (उपखण्ड अधिकारी जोधपुर उत्तर) के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत माता–पितां एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत बाबत् अप्रार्थीगण / अपीलार्थीया (श्रीमती बाया उर्फ सुल्ताना) द्वारा गणशहीदा कॉलानी, कबीरनगर, सूरसागर जोधपुर स्थित मकान पर कब्जा किया गया, खाली कराकर पुनः कब्जा दिलाने का पेश किया गया, जिस पर उपखण्ड अधिकरण (उपखण्ड अधिकारी जोधपुर उत्तर) ने प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए प्रार्थीपक्ष / प्रत्यर्थीपक्ष–1, 2 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर कब्जा **अप्रार्थीगण / अपीलार्थीपक्ष** से कब्जा दिलाये जाने का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया,, जिससे व्यथित होकर यह अपील अपीलार्थीया श्रीमती बाया द्वारा

लगातार...

प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर (02/2022) कर प्रत्यर्थीपक्ष को नोटिस जारी कर अधीनस्थ अधिकरण का मूल अभिलेख मंगवाया गया। अधीनस्थ अधिकरण से मूल अभिलेख प्राप्त हो चुका है। प्रत्यर्थीपक्ष–1, 2 व 3 दिनांक 29.03.2022 को अजखुद उपस्थित हुए तथा उभय पक्षकारान की ओर से जाहिर किया गया कि उनके मध्य राजीनामा की बात चल रही है इस पर पक्षकारान को अवसर दिया गया तथा काफी समय पश्चात् भी उभयपक्षकारान उपस्थित नहीं हुए, न उनकी ओर से राजीनामा प्रस्तुत हुआ। आज दिनांक 26.12..2022 तक कोई राजीनामा प्रस्तुत नहीं किया गया तथा रेस्पों.पक्ष की ओर से लिखित बहस पेश हुई। अपीलार्थीया की ओर से दिनांक 09.01.2023 को लिखित बहस एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत O_{39} R_7 readwith 151 CPC बाबत् मौका कमीशनर नियुक्त करने का पेश हुआ जिसकी प्रति प्रत्यर्थीपक्ष को दी गई। प्रत्यर्थीपक्ष की ओर से प्रार्थना पत्र O_{39} R_7 readwith Sec. 151 CPC का जबाब भी पेश हुआ।

अपीलार्थीपक्ष की ओर से अपील में जाहिर किया गया कि प्रार्थीगण/प्रत्यर्थीपक्ष 1व 2 की ओर से उक्त अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष पेश किया कि अप्रार्थी–एक (कुतुबुदीन) ओटो रिक्शा चलाता है जिससे रोजाना करीब 800 से 1000/–रूपये तक की आय होती है तथा प्रार्थीगण के बनाये मकान में अप्रार्थी–एक अपनी पत्नी बाया व अपने तीन संतान समीर, सलमान तथा अरमान के साथ जबरन तल मंजिल के तीन कमरे, लेट्रीन, बाथरूम और किचन में निवास करने, आये दिन लड़ाई झगड़ा करने, आज दिन तक भरण पोषण नहीं देने, सेवा चाकरी नहीं करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसका जबाब कुतुबुदीन (प्रत्यर्थी–3) द्वारा जबाब पेश किया गया जिसमें अपनी पत्नी बाया उसके माता पिता से लड़ाई झगड़ा व गाली गलौच कर तंक परेशान करने, झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकीयां देने व विवादग्रस्त मकान खाली करने का जवाब पेश किया गया। अप्रार्थी–2/अपीलार्थीया द्वारा कोई जबाब नहीं दिया गया, न ही बहस के दौरान उपस्थित हुई। अधीनस्थ अधिकरण ने अपीलाधीन आदेश में बहस सुनकर आदेश दिया गया कि पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजा अनुसार उपरोक्त मकान को सर्वे नगर निगम जोधपुर की ओर से किया गया उक्त सर्वे श्रीमती जुबेदा प्रार्थी–2 के नाम हो रखा है जिस पर प्रार्थीगण द्वारा बिजली पानी कनेक्शन लिया हुआ है। अप्रार्थी–1 की ओर से मकान खाली करने के तथ्य को स्वीकार किया गया है ऐसी अवस्था में उक्त मकान अप्रार्थीगण से खाली करवाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

बहस में बतलाया कि रेस्पो.पक्ष 1 व 2 जो रेस्पो.–3 के पिता माता है तथा अपीलार्थी के प्रत्यर्थीगण 1 व 2 ससुर सास है व रेस्पो.–3 पति है। रेस्पो. –3 जो रेस्पो. 1 व 2 के साथ मिलीभगत से झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया तथा अपीलार्थी को मुगलाते में रखकर यह बताया गया कि हम अच्छा वकील करेंगे लेकिन रेस्पो.–3 जो रेस्पो. 1 व 2 से मिलकर गलत जबाब पेश किया गया तथा रेस्पो.पक्ष मिलीभगत से अपीलार्थी व उसके तीन नाबालिग बच्चों को छोड़ना

लगातार...

चाहते है। बहस में आगे यह भी कहा कि रेस्पो.–3 ने अपीलार्थी जो कि उसकी पत्नी है, को बताया गया कि आपका हाजा अदालत में जवाब पेश कर दिया गया तथा आप औरत जात को कोर्ट में जाने की कोई जरूरत नहीं है इस प्रकार आदेश हुआ, तब जानकारी में आया कि वे सब रेस्पो.पक्ष ने साजिश रचकर कार्यवाही की गई। अपीलार्थी को साक्ष्य सबूत पेश करने का कोई मौका नहीं दिया गया इसलिए अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है। बहस में आगे बतलाया कि रेस्पो.–1 व 2 का खाण्डाफलसा जोधपुर में पूर्वजों का मकान है तथा अदालत हाजा को रेस्पो.पक्ष की मिलीभगत से सही तथ्य नहीं बताये गये। अपीलार्थी ने गणशहीदा कॉलानी, कबीरनगर में कब्जा करे मकान बनाकर अपने पति रेस्पो.–3 के साथ रहने लगे तथा अपीलार्थी ने अपने पैसे से मकान बनाकर कर आज दिन बिना रोक टोक परिवार सहित निवास करती आ रही है। रेस्पो. 1 व 3 के पास पाली में दो मकान है तथा खाण्डा फलसा में एक मकान है। पाली के दोनों मकानों का 30–40 हजार एवं खाण्डाफलसा मकान का 10000/– रूपया माहवारी किराया मिलता है। रेस्पो. 1 व 2 सास ससुर होने की वजह से अपीलार्थी के यहां घर पर आये तथा अपीलार्थी को यह बताया कि थोड़े दिन गणशहीदा कॉलानी कबीरनगर वाले मकान में रहेगें लेकिन रेस्पो. सं0 01 से 03 की मिलीभगत से उपरोक्त मकान पर अपना झूठा कब्जा बताकर अधीनस्थ न्यायालय में झूठा दावा प्रस्तुत किया गया इसलिए अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है।

बहस में यह भी बतलाया कि अपीलार्थी के पास तीन नाबालिग बच्चे भी निवास करते है तथा इन सब के दस्तावेज कबीरनगर वाले मकान से संबंधित है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं अन्य उच्च न्यायालयों के न्यायिक दृष्टातों के अनुसार कानून के अनुसार बेटे की बहू को घर से बेदखल नहीं किया जा सकता है। अन्त में अपीलाधीन आदेश को अपास्त करने व अपीलांट के कब्जासुदा जायदाद वाके गणशहीदा कॉलोनी से रेस्पो.पक्ष को बेदखल कर कब्जा अपीलार्थी को दिलाये जाने की प्रार्थना की।

अपीलार्थीपक्ष ने प्रार्थना पत्र O_{39} R_7 readwith Sec. 151 CPC बाबत मौका कमीशनर नियुक्त करने के प्रार्थना पत्र में बतलाया कि कब्जासुदा रहवास मकान में करीब 17 वर्ष से निवास कर रही है तथा अपीलार्थी का उपरोक्त रहवासीय मकान का सर्वे अपने नाम से हो चुका है तथा राशनकार्ड बच्चों के शिक्षा संबंधी रिपोर्ट कार्ड सभी इसी पते पर बने हुए है अतः मौका कमीश्नर नियुक्त कर मौका रिपोर्ट मंगवाई जाय।

प्रत्यर्थीपक्ष की ओर से लिखित बहस में बतलाया कि माता–पितां एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 16(1) के प्रावधान है कि वरिष्ठ नागरिक या माता पिता अपील पेश करने का अधिकार रखते है जबकि उपरोक्त प्रकरण में सन्तान द्वारा पअील पेश की गई जो धारा 16(1) के प्रावधान के विपरीत है, प्रथम दृष्टया खारिज किये जाने योग्य है। भरण पोषण अधिकरण के समक्ष दोनों पक्षकार उपस्थिति होकर अपनी तरफ से जवाब प्रस्तुत कर चुके है। एक बार दोनों पक्ष हाजिर होने के बाद किसी कारणवश न्यायालय में बिना कोई वैध कारण के गैर हाजिर रहते है तो उनके विरूद्ध

लगातार...

एकपक्षीय आदेश प्रावधान अधिनयम में अंकित किये गया है। उपरोक्त प्रकरण में अपीलांट ने जानबूझकर जवाब का अवसर मिलने के बावजूद जवाब पेश नहीं किया गया। अधिकरण ने प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं दस्तावेजों के आधार पर अपीलांट से उपरोक्त मकान खाली करने थानाधिकारी सूरसागर जोधपुर को आदेश दिया था परन्तु दूसरे दिन ही अधिकरण ने बिना प्रत्यर्थीगण को सुने अपने आदेश को वापिस लेते हुए पुनः अपीलांट को मकान का कब वापि दिलवा दिया जो गैर कानूनी है। बहस में यह भी बतलाया कि उपरोक्त मकान का बिजली पानी का बिल और कब्जा प्रत्यर्थीगण सं0–2 श्रीमती जुबेदा के नाम है। अपीलांट ने अपने नाम से उपरोक्त मकान का सर्वे नगर निगम जोधपुर द्वारा किया गया हो, ऐसा कोई दस्तावेज अधिकरण में पेश नहीं किया है और न ही अपील में अंकित किया है। उपरोक्त मकान का सर्वे श्रीमती जुबेदा प्रत्यर्थी संख्या–2 के नाम से नगर निगम जोधपुर द्वारा किया गया है तथा प्रत्यर्थी–एक ने अपनी स्वयं की निजी आय से मकान का निर्माण कर बनवाया है। अपीलांट उपरोक्त मकान में बतौर प्रत्यर्थीपक्ष–3 की पत्नी की हैसियत से कब्जा कर रह रही है और जबरन लड़ाई झगड़ा कर प्रत्यर्थी सं0 1 व 2 को बेदखल कर रखा है। बहस में आगे कहा कि यह कानून वृद्धो की सम्पति एवं शरीर की सुरक्षा हेतु विशेष तौर से बनाया गया है जो सब कानून को ऑवरटेक करते हुए विशेष कानून का दर्जा प्राप्त है। अधिकरण ने किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि की है तो उसके लिये अपीलांट(संतान) को अधिकार है कि वो इस अधिनियम के तहत राजस्थान उच्च न्यायालय में सिविल रिट प्रस्तुत करे, उसे अपील अधिकरण धारा 16(1) के तहत किसी प्रकार का अनुतोष पाने की अधिकारिणी नहीं है। अन्त में अपील निरस्त करने की प्रार्थना की।

रेस्पो.पक्ष की ओर से प्रार्थना पत्र पेश करते हुए जाहिर किया कि अपीलांट ने अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट संख्या–एक जोधपुर महानगर के समक्ष O_{39} R_1 व $_2$ CPC के तहत अस्थाई एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु वाद दायर किया था जो दिनांक 06.01.23 को खारिज कर दिया, जिसमें अपीलांट ने प्रार्थना की गई कि उसे रहवासीय मकान से बेदखल नहीं किया जावे, परन्तु उसके बावजूद अपीलांट ने इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मौका कमीश्नर नियुक्त करने हेतु मांग की। अधिनियम में मौका कमीश्नर बाबत् किसी प्रकार का कोई प्रावधान अंकित नहीं है और अपीलांट का O_{39} R_1 व $_2$ CPC का प्रार्थना पत्र पूर्व में ही खारिज हो चुका है अन्त में अपीलांट का प्रार्थना पत्र O_{39} R_7 readwith Sec. 151 CPC बाबत मौका कमीश्नर नियुक्त का निरस्त करने की प्रार्थना की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अपील का निर्णय करने से पूर्व अपीलार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र O_{39} R_7 readwith Sec. 151 CPC बाबत मौका कमीश्नर नियुक्त करने का निस्तारण करना आवश्यक समझते है। अपीलार्थीया ने मौका कमीशनर नियुक्त करने के प्रार्थना पत्र में बतलाया कि कब्जासुदा रहवास मकान में करीब 17 वर्ष से निवास कर रही है तथा अपीलार्थी का उपरोक्त रहवासीय मकान का सर्वे अपने नाम से हो चुका हैतथा राशनकार्ड,

लगातार...

बच्चों के शिक्षा संबंधी रिपोर्ट कार्ड सभी इसी पते पर बने हुए है। प्रत्यर्थीपक्ष का कथन है कि उक्त अधिनियम में मौका कमीश्नर रिपोर्ट बाबत् किसी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। हम प्रत्यर्थीपक्ष के कथन से सहमत है कि माता–पितां एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 में किसी पक्षकार का स्वत्व का निर्धारण करना या कब्जा घोषित करने का प्रावधान नहीं होने से मौका कमीश्नर रिपोर्ट मंगवाना आवश्यक नहीं है तथा उभयपक्षकारान के मध्य सिविल न्यायालय में वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा व अस्थाई स्थगन प्रार्थना पत्र विचाराधीन भी है। अतः अपीलार्थी/प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् मौका कमीश्नर नियुक्त करने निरस्त योग्य होने से निरस्त किया जाता है।

अपील का गुणावगुण निस्तारण इस प्रकार किया जा रहा है। अधीनस्थ अधिकरण से प्राप्त मूल अभिलेख का अध्ययन किया। अधीनस्थ अधिकरण पत्रावली में लिखी आदेशिका हस्तलिखित नहीं लिखी जाकर सीले लगवाई गई तथा इन आदेशिका में हस्ताक्षर भी नहीं किये हुए है तथा आदेशिका दिनांक 20.10.2021 के दिन अप्रार्थी–2/अपीलार्थीया के हस्ताक्षर अवश्य किये गये, परन्तु उपस्थिति के रूप में आदेशिका में नहीं बतलाया गया। अप्रार्थी–1/प्रत्यर्थी कुतुबुदीन द्वारा दिया गया जबाब पत्रावली में संलग्न है, परन्तु जबाब कब दिया गया, आदेशिका में कई नहीं बतलाया गया, जो विधिक प्रावधानों की गंभीर त्रुटि है। **राजस्थान सरकार माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण नियम, 2010** के नियम 10 के अन्तर्गत सुलह अधिकारी नियुक्त करने का प्रावधान है तथा सुलह अधिकारी से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर नियम 12, 13 के तहत कार्यवाही की जाती है, परन्तु अधीनस्थ अधिकरण से उक्त विधिक प्रावधानों की पालना नहीं की गई, ऐसा आदेश विधिसम्मतः न होकर पूर्णरूप से त्रुटिपूर्ण है। अतः न्यायहित में अधीनस्थ अधिकरण का अपीलाधीन आदेश विधिक प्रावधानों का पूर्ण पालना नहीं करते हुए पारित किया गया, जो हस्तक्षेप योग्य है।

उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलाधीन आदेश निरस्त करते हुए अधीनस्थ अधिकरण (उपखण्ड अधिकारी जोधपुर उत्तर) को प्रतिप्रेषित किया जाता है एवं निर्देशित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए विधिक प्रावधानों की पूर्ण पालना कर :प्रकरण का निस्तारण करे। आदेश की प्रति के साथ मूल अभिलेख अधीनस्थ अधिकरण को सुनवाई एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।